# नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
# अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
# अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018
## भाग–एक

1 **प्रारम्भिक**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम–1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतो के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद मनाली में निम्नलिखित अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः–**

| क्रमांक | नाम | पद | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती शबनम तनवर | प्रधान | 1.4.16 से 31.3.18 तक |
| 2 | श्री मोहिन्द्र सिंह ठाकुर | कार्यकारी अधिकारी | 1.4.2016 से 31.3.18 तक |

**(ख) नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

| क्र0सं0 | अनियमितता का संक्षिप्त सार | पैरा सं0 | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | असंचालित बैंक खातों में राशियाँ जमा रखने पर ब्याज आय की हानि | 5 (क) | 0.72 |
| 2 | दिनांक 31.3.2018 तक अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष | 6 (क) | 166.12 |
| 3 | अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना | 7 (क) | 2.35 |
| 4 | गृहकर बकाया राशि वसूली हेतु शेष | 8 (क) | 45.06 |
| 5 | गृहकर की बढ़ी हुई दरों से वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि | 8 (ग) | 7.57 |
| 6 | गृहकर की मांग एवं वसूली रजिस्टर में बकाया राशि | 8 (घ) | 0.89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कम दर्शाना | | |
| 7 | तहबाजारी शुल्क वसूली हेतु शेष | 9 (क) | 0.52 |
| 8 | दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष | 10 | 73.46 |
| 9 | कूड़ा–कचरा संग्रह शुल्क वसूली हेतु शेष | 11 (क) | 0.22 |
| 10 | मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष | 13 | 2.81 |
| 11 | भवन नक्शा शुल्क की कम वसूली करना | 14 | 0.12 |
| 12 | गणना में त्रुटि के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान | 16 | 0.35 |
| 13 | वस्तु एवं सेवाकर को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना | 17 | 2.36 |
| 14 | श्रम प्रभार (Labour Cess) को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना | 18 | 5.64 |
| 15 | नियमानुसार उचित निविदा प्रक्रिया न अपनाने के कारण परिषद को वित्तीय हानि | 19 | 3.45 |
| 16 | विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु शेष | 20 | 7.48 |
| 17 | निविदा की शर्तों के विपरीत संविदाकार को अधिक भुगतान | 21 | 0.17 |
| 18 | निष्पादित कार्य की माप पुस्तिका में Record Entries किए बिना संविदाकार को अनियमित भुगतान | 25 (क) | 0.28 |
| 19 | सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य निष्पादित करवाना | 25 (ख) | 36.99 |
| 20 | गौ–सदन को हस्तांतरित राशि में से किया गया सदिंग्ध व्यय | 26 | 0.29 |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई जबकि सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 9 दिनांक 9.4.2018 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मनाली से इस सन्दर्भ में आग्रह किया गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

## 2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद मनाली के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री अजीत सिंह सहायक नियन्त्रक व श्री मोहिन्द्र सिंह कनिष्ठ लेक्षा परीक्षक द्वारा अवधि 29.3.2018 से 15.6.2018 तक के दौरान परिषद के मनाली स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 7/2016 व 6/2017 तथा व्यय के लिए माह 4/2016 व 10/2017 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदो में समाविष्ट किए गए है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद मनाली के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है तथा नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण व गलत होने अथवा उपलब्ध न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायत्वि केवल विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

## 3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद मनाली के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शूल्क ₹69600 आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मनाली से सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्याः ए0सी0 (अंकेक्षण) वृत कुल्लू–3 दिनांक 15.6.2018 द्वारा अनुरोध किया गया है।

## 4 वित्तीय स्थिति

**(क)** कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मनाली द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार नगर परिषद मनाली की अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिस का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क–1) व (क–2)** में दिया गया हैः–

| क्र0सं0 | विवरण | वित्तीय वर्ष | |
|---|---|---|---|
| | | **2016–17** | **2017–18** |
| 1 | अथशेष (₹) | 15763859.00 | 87121610.58 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (₹) | 101352440.00 | 27864068.00 |
| 3 | वर्ष में स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय (₹) | 42566742.00 | 47587751.00 |
| 4 | कुल राशि (₹) | 159683041.00 | 162573429.58 |
| 5 | वर्ष के दौरान व्यय (₹) | 72561430.42 | 156259399.79 |
| 6 | अन्तशेष (₹) | 87121611.58 | 6314029.79 |
| 1 | दिनांक 31.3.2018 को रोकड़ बही का अन्तशेष | | ₹6314029.79 |
| 2 | दिनांक 31.3.2018 को निम्न (ग) में दिए विवरण अनुसार बैंक में जमा शेष राशि | | ₹6334029.79 |
| | | अन्तर | ₹20000.00 |

**(ख)** बैंक समाधान विवरण दिनांक 31.3.18 को दिनांक

रोकड़ बही अनुसार अन्तःशेष ₹6314029.79

**जमाः–** भुगतान हेतु जारी चैकों का विवरण जिन्हें 31.3.18 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया।

| वा0सं0 | दिनांक | चैक सं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 66 (IX) | 23.3.18 | 603350 | 10000 |
| 71 | 23.3.18 | 603356 | 5000 |
| 73 | 23.3.18 | 603358 | 5000 |
| | | **कुल राशि** | **₹20000** |

दिनांक 31.3.18 को निम्न (ग) अनुसार बैंक में जमा शेष राशि ₹6334029.79

**(ग)** नगर परिषद मनाली के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.2018 को जमा राशियों को विवरण निम्न लिखित हैः–

| क्र0सं0 | बैंक का नाम | खाता सं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | पंजाब नैशनल बैंक, मनाली | 23761 | 5466422.33 |
| 2 | पंजाब नैशनल बैंक, मनाली | 181516 | 255844.00 |
| 3 | पंजाब नैशनल बैंक, मनाली | 4845 | 30809.00 |
| 4 | कांगड़ा को–ओपरेटिव बैंक मनाली | 3536 | 103389 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | कांगड़ा को–ओपरेटिव बैंक मनाली | 3547 | 24569 |
| 6 | एच0डी0एफ0सी0 बैंक, मनाली | 18 | 28588.86 |
| 7 | यूको बैंक मनाली | 5231 | 30.00 |
| 8 | जे0एण्ड के0 बैंक मनाली | 386 | 32.00 |
| 9 | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मनाली | 97385 | 69688.60 |
| 10 | आई0सी0आई0सी0 आई0 बैंक मनाली | 40 | 54657.00 |
| | **कुल राशि** | | **₹6334029.79** |

## 5 असंचालित बैंक बचत खातों में राशियाँ जमा रखने पर लगभग ₹0.72 लाख ब्याज आय की हानि

**(क)** नगर परिषद मनाली द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों की पास बुकों व बैंक विवरणियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित बैंक खातों में अवधि 1.4.2016 से 31.3. 2018 तक कोई लेन–देन नहीं किय गया था तथा इन खातों में जमा राशियों पर केवल साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। यदि वर्णित बैंकों में जमा राशियों में से न्यूनतम जमा राशि को छोड़कर शेष राशियों को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाता तो 2 वर्ष की अंकेक्षण अवधिकाल के लिए नगर परिषद को निम्न विवरणानुसार ब्याज के रूप में लगभग ₹71555 की अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती थी। अतः कुशल वित्तीय प्रबन्धन की विफलता के कारण परिषद को ₹71555 की वित्तीय हानि हुई है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में बचत खातों में जमा अतिरिक्त राशि को परिषद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्र0सं0 | बैंक का नाम व खाता सं0 | 1.4.2016 को बैंक में जमा राशि (₹) | बैंक खातों मे आपेक्षित न्यूनतम राशि (₹) | सावधि जमा के लिए उपलब्ध राशि (₹) | अवधि जिसके लिए निवेश किया जा सकता था | 1.4.16 को प्रभावी ब्याज दर | सावधि जमा पर प्राप्ति योग्य ब्याज (₹) | बचत खाते पर प्राप्त ब्याज (₹) | ब्याज आय की हानि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNB/181516 | 241692 | 5000 | 236692 | 2 वर्ष | 7.80% | 71056 | 14152 | 56904 |
| 2 | PNB/04845 | 28526 | 5000 | 23526 | 2 वर्ष | 7.80% | 3931 | 2283 | 1648 |
| 3 | KCCB/03547 | 22698 | 5000 | 17698 | 2 वर्ष | 7.80% | 2957 | 1871 | 1086 |
| 4 | KCCB/03536 | 95516 | 5000 | 90516 | 2 वर्ष | 7.80% | 15123 | 7874 | 7249 |
| 5 | SBI/97385 | 63917 | 5000 | 58917 | 2 वर्ष | 7.80% | 9843 | 5175 | 4668 |
| | | | | | | | कुल योग | | 71555 |

**(ख) पैन्शन निधि**

दिनांक 31.3.2018 को पैन्शन निधि खाते में कुल ₹6653214.51 शेष जमा थे जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

## 6 अनुदान

### (क) दिनांक 31.3.2018 तक अनुदान ₹166.12 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी यथा परिशिष्ट ग (1) व ग (2) का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.18 को विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹16611768 की राशि अनुपयोग शेष थी। अनुदान राशियों को प्रस्तावित उद्देश्य हेतु प्रायः एक या दो वर्षों में उपयोग किया जाना अपेक्षित होता है। इस प्रकार अनुदान राशियों का समय पर उपयोग न करने के कारण जहां निधि का अवरोधन हुआ है वहीं लाभार्थी जनता को भी प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों का समय पर उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अनुदान

राशि उन्हीं उद्देश्यों हेतु व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए जिन उद्देश्यों हेतु इन्हें स्वीकृत किया गय है अन्यथा अनुपयोग राशियो का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख) व्यय की गई अनुदान राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना**

अकेक्षण के दौरान नगर परिषद से कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी **परिशिष्ट "ग" (1) व ग(2)** में वर्णित उपयोग अनुदान राशियों से सम्बन्धित अनुदान जारी कर्ता विभाग को भेजे गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाये गये जिसके अभाव में अनुदान राशियों के उपयोग का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 7 अस्थाई अग्रिम

### (क) अस्थाई अग्रिम ₹2.35 लाख का समायोजन न करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये गये अस्थाई अग्रिमों को चिरकाल से लम्बित रखकर उनका समायोजन आज दिन तक नहीं किया गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के पैरा संख्या 7 के अनुसार ₹306050 की अग्रिम राशि असमायोजित थी जिसमें से मात्र ₹70750 का ही समायोजन किया गया तथा ₹235300 का राशि दिनांक 31.3.18 को निम्न विवरणानुसार समायोजन हेतु शेष है। अतः परामर्श दिया जाता है कि यथाशीघ्र प्रदत्त अग्रिमों की लम्बित पड़ी राशियों की वसूली दण्ड ब्याज सहित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**दिनांक 31.3.2018 को असमायोजित अग्रिमों का विवरण**

| क्र0सं0 | कर्मचारी का नाम | प्रदत्त अग्रिम राशि (₹) | वा0सं0 व दिनांक | अग्रिम का उद्देश्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री जे0सी0 गुप्ता (सचिव) | 25000 | 62/6/99 | टायर खरीदने हेतु |
| 2 | श्री जे0सी0 गुप्ता (सचिव) | 50000 | 36/11–99 | –यथोपरि– |
| 3 | श्री जे0सी0 गुप्ता (सचिव) | 30000 | 55–99 | स्ट्रीट लाईट |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | खरीदने हेतु |
| 4 | श्री जे0सी0 गुप्ता (सचिव) | 50000 | 38, 1/2000 | बैगलोर प्रवास |
| 5 | श्री जे0सी0 गुप्ता (सचिव) | 10000 | 20, 2001 | स्टेशनरी खरीदने हेतु |
| 6 | श्री लाल सिंह (लिपिक) | 1000 | 20, 10/2003 | डीजल खरीदने हेतु |
| 7 | श्री लाल सिंह (लिपिक) | 1000 | 24, 8/2004 | डीजल खरीदने हेतु |
| 8 | श्री शिव सिंह सेन (सचिव) | 4000 | 22, 9/2004 | पानी के टैंक खरीदने हेतु |
| 9 | श्री भगत राम (लिपिक) | 10000 | 45, 9/2001 | सीमेंट खरीदने हेतु |
| 10 | श्री भगत राम (लिपिक) | 20000 | 23, 9/1998 | —यथोपरि— |
| 11 | श्री शिव सिंह सेन (सचिव) | 10000 | 34, 10/2001 | दशहरा मेला |
| 12 | श्री शिव सिंह सेन (सचिव) | 15000 | 37, 4/2001 | दशहरा मेला |
| 13 | श्री जगरनाथ (चालक) | 800 | 34, 12/2007 | डीजल खरीदने हेतु |
| 14 | श्री मोहन लाल (Woth SAuprivisor) | 4000 | 66, 5/2012 | नम्बर प्लेट खरीदने हेतु |
| 15 | श्री मोहन लाल (Woth SAuprivisor) | 4500 | 67, 6/2013 | गाड़ी की पासिंग व मुरम्मत |
| | **योग** | **235300** | | |

**(ख) अस्थाई अग्रिम ₹0.10 लाख से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना**

वा0सं0 77 माह 10/2017 के द्वारा ₹10000 का अस्थाई अग्रिम श्री नाथु राम (चालक) को जे0सी0बी0 रोबोट की मुरम्मत करवाने हेतु दिया गया परन्तु इस सन्दर्भ में न तो नगर परिषद के अग्रिम रजिस्टर में कोई प्रविष्टि ही मौजूद थी और न ही अग्रिम समायोजन लेखा कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध था जिस के अभाव में उपरोक्त राशि के अस्थाई रूप में दुर्विनियोजित की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकरण की गहन छानबीन करने के उपरान्त वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की दण्ड ब्याज सहित वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### (ग) कालातीत यात्रा भत्ता ₹640 का अनियमित भुगतान

वाऊचर संख्याः 100 दिनांक 21.4.2016 के द्वारा श्री मोहिन्द्र सिंह, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मनाली को उनके अवधि 1.4.2015 से 4.4.2015 तक चण्डीगढ़ प्रवास हेतु किये गये यात्रा भत्ता ₹640 के भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उक्त अवधि के यात्रा प्रवास को दिनांक 20.4.2016 को उप–प्रधान नगर परिषद मनाली से अनुमोदित करवाने के उपरान्त दिनांक 21.4.2016 को बैंक से भुगतान किया गया जबकि नियम S.P. 194 (A) के अनुसार यात्रा भत्ता दावा एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत न करने के कारण कालातीत हो चुका था। अतः उपरोक्त नियम के दृष्टिगत कालातीत यात्रा भत्ता दावा ₹640 का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो हिमाचल प्रदेशरा वित्तीय नियमावाली खण्ड–1 के नियम 2.25 के नीचे दिए गए हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 4 में दिए गये प्रावधानानुसार इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 8 गृहकर

### (क) गृहकर ₹45.06 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष

परिषद द्वारा दिनांक 31.3.18 तक गृहकर की बकाया ₹4506451 की वसूली की जानी शेष थी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "घ" (1)** में दिया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में म्यूनिसिपल अधिनियम 1994 की धारा 87 (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत वसूली हेतु ठोस/आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### (ख) गृहकर निर्धारण का अद्यतन (Updation) न लाने के कारण नगर परिषद को लाखों रूपये की वित्तीय हानि

गृहकर निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद मनाली के कार्यक्षेत्र में निर्मित भवनों/मकानों के गृहकर की वसूली गत कई वर्षों

पूर्ण निर्धारित दर से की जा रही है तथा प्रत्येक वर्ष नव–निर्मित अथवा पुराने मकानों/भवनों में की गई बढ़ौतरी पर गृहकर दर निध्राण को अद्यतन (Updation) न लाने के कारण परिषद को लाखों रूप्ये की वित्तीय हानि उठानी पड रही है जोकि एक गम्भीरता वित्तीय अनियमितता है। अतः समय–2 पर गृहकर निर्धारित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नगर परिषद की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु यथासमय गृहकर दर निर्धारण का अद्यतन (Upadation) किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ग) गृहकर की बढ़ीहुई दरो से वसूली न करने के फलस्वरूप परिषद को ₹7.57 लाख की वित्तीय हानि**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा अपनी सीमा के क्षेत्र में वर्ष 2016–17 व 2017–18 में 12% की दर से गृहकर की वसूली की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याःयू0डी0एस0सी0 (10)–2/2002, दिनांक 24.9. 2003 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नगर परिषदो/पंचायतों में अधिकतम 12.5% की दर से गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप नगर परिषद द्वारा वर्ष 2016–17 में ₹294088 (₹7058110 x 12.5/12=7352198–7058110) व वर्ष 2017–18 में ₹462693 (₹11104630 x 12.5/12=11567323–11104630) अर्थात कुल ₹756781 (₹294088 + 462693) गृहकर की कम वसूली करने के कारण वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार ही की जानी सुनिश्चित की जाए।

**(घ) गृहकर के मांग व संग्रह रजिस्टर में गृहकर की बकाया राशि ₹0.89 लाख कम दर्शाना**

नगर परिषद के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 2016–17 व 2017–18 के दौरान **परिशिष्ट "ङ"** में वर्णित प्रकरणों में गृहकर की बकाया ₹88665 की राशि को या तो दर्शाया ही नहीं गया या फिर गलत गणना करके कम दर्शाया गया था, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के पैरा 8 (ख) में भी इस अनियमितता का विशेष उल्लेख किया गया था, परन्तु इस विषय में परिषद द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः उक्त परिशिष्ट के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त मांग व संग्रह रजिस्टर में बकाया शेष की सही स्थिति

दर्शाई जाए तथा तदानुसार गृहकर की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 9 तहबाजारी शुल्क

### (क) तहबाजारी शुल्क ₹0.52 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद मनाली का तहबाजारी शुल्क से प्राप्त आय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2018 तक परिषद द्वारा **परिशिष्ट "च"** में वर्णित तहबाजारी धारकों से ₹52450 के शुल्क की वसूली शेष थी, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः तहबाजारी शुल्क की शेष राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### (ख) तहबाजारी से प्राप्त शुल्क ₹120 परिषद निधि में कम जमा करना

नगर परिषद को तहाबाजारी शुल्क से प्राप्त आय का सम्बन्धित रसीद बुकों (G–8) के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि चयनित मासों में प्राप्त कुल राशि में से निम्न विवरणानुसार ₹120 की राशि परिषद खाते में कम जमा करवाई गई थी। अंकेक्षण द्वारा वर्णित अनियमितता ध्यान में लाने पर राशि को अंकेक्षण के दौरान ही रसीद संख्या (जी–8) 56/377, दिनांक 14.6.18 द्वारा रोकड़ बही में जमा कर दिया यगा था। अतः परामर्श दिया जाता है कि चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों की जाँच भी नगर परिश्द द्वारा अपने स्तर पर करके अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोकने हेतु ठोस कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएंः–

| क्र0सं0 | फीस संग्रह रसीद नं0 | कुल प्राप्त राशि | रोकड़ बही में जमा राशि | रसीद सं0 (जी–8) | कम जमा राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 से 366/32/11.7.16 | 8610 | 8550 | 01/270 | 60 |
| 2 | 278 से 286/38/23.6.17 | 7980 | 7920 | 84/321 | 60 |
| | | | | **कुल राशि** | **120** |

## 10 दुकानों का किराया ₹73.46 लाख की बकाय राशि वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2018 तक विभिन्न दुकानदारों से किराए की बकाया राशि ₹7345586 अधिभार सहित वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर

दिया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा दुकानदारों से बकाया राशि व मासिक किराए को नियमित रूप से वसूल करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः बकाया दुकान किराये की वसूली हेतु म्युनिसिपल अधिनियम 1994 की धारा 89 (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए ताकि नगर परिषद इस धन का उपयोग विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर सके।

## 11 कूड़ा कचरा संग्रह शुल्क

### (क) कूड़ा कचरा संग्रह शुल्क ₹0.22 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद मनाली के कूड़ा कचरा सग्रह फीस के लेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया दिनांक 31.3.2018 तक परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ज" (1) व (2)** में वर्णित विवरणानुसार ₹22203 के शुल्क की वसूली की जानी शेष थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः कूड़ा कचरा शुल्क की बकाया की सम्बन्धित से शीघ्र वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### (ख) कूड़ा कचरा संग्रह से प्राप्त शुल्क ₹253 को परिषद निधि में कम जमा करना

नगर परिषद के कूड़ा–कचरा संग्रह शुल्क के लेखों का अंकेक्षण सम्बन्धित रसीद बुकों (जी–8) के साथ करने पर पाया गया कि चयनित मासों में प्राप्त कुल राशि में से निम्न विवरणानुसार ₹253 की राशि परिषद निधि में कम जमा करवाई गई थी तथा अंकेक्षण द्वारा वर्णित अनियमितता ध्यान में लाने पर राशि को अंकेक्षण के दौरान ही रसीद संख्या (जी–8) 042/377 दिनांक 14.6.18 द्वारा रोकड़ बही में जमा कर दिया गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों की जाँच भी नगर परिष्द द्वारा अपने स्त्तर पर करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा भविष्य में इस प्राकर की अनियमितता की पुनरावृति पर रोक लगाने हेतु ठोस कदम उठाए जाना सुनिश्चित किया जाएः–

| क्र0सं0 | फीस संग्रह रसीद नं0 | कुल प्राप्त राशि (₹) | रोकड़ बही में जमा राशि | रसीद संख्या (जी–8) | कम जमा राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 से 41<br>44 से 47/489 | 7226 | 7184 | 90/315 | 42 |
| 2 | 75 से 100/492 | 6490 | 6460 | 31/321 | 30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 से 62/493 | | | | |
| 3 | 29 से 98/387 | 7286 | 7276 | 07/270 | 10 |
| 4 | 73 से 94/386 | 7404 | 7244 | 84/269 | 160 |
| 5 | 53 से 100/390 | 3635 | 3630 | 76/271 | 5 |
| 6 | 89, 91 से 100/488 | 4151 | 4149 | 90/315 | 2 |
| 7 | 48 से 100/489 | 9247 | 9245 | 27/316 | 2 |
| 8 | 1 से 40/494 | 6478 | 6476 | 70/321 | 2 |
| | | | | **योग** | **₹253** |

## 12 बिजली शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक बिजली शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि बिजली बोर्ड द्वारा नगर परिषद मनाली के अधिकार क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर परिषद को देय विद्युत शुल्क का अधिकतर समायोजन बिजली बिलों में किया गया है तथा इससे सम्बन्धित माग व वसूली का अलग से कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वर्ष 2016–17 व 2017–18 में बिजली का कुल कितना उपयोग किया गया उस पर 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से कुल कितनी राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी तथा बिजली बोर्ड द्वारा कितनी राशि का समायोजन बिजली बिलों में किया गया व कितनी राशि प्राप्ति योग्य शेष है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाओं का संकलन एवं अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव करके वसूली योग्य राशि का आंकलन किया जाए तथा तदानुसार शुल्क की शेष बकाया राशि की वसूली यथाशीघ्र बिजली बोर्ड से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 2, दिनांक 11.6.2018)

## 13 मोबाईल टावर कम्पनियों से टावर नवीनीकरण शुल्क ₹2.81 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा विभिन्न मोबाईल टावर कम्पनियों से **परिशिष्ट "झ"** में वर्णित विवरणानुसार दिनांक 31.3.2018 तक टावर नवीनीकरण शुल्क ₹281058 की वसूली शेष थी तथा जिसकी वसूली हेतु परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही थी। अतः परिषद द्वारा उक्त राशि की समय पर वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा

नियमानुसार उक्त राशि की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 14 भवन नक्शा शुल्क ₹0.12 लाख की कम वसूली करना

नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में निर्मित भवनों के नक्शा शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में भवन मालिकों से क्षेत्रफल के आधार पर देय पंजीकरण शुल्क ₹12384 की कम वसूली की गई थी जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवया जाएः–

| आवेदन प्राप्ति की दिनांक | भवन मालिक का नाम व पता | निर्मित भवन की किस्म | रजिस्टर में दर्शाया गया क्षेत्र | दर प्रति वर्ग मीटर (₹) | वसूली योग्य राशि (₹) | वसूली गई राशि (₹) | कम वसूली (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7.16 | श्री रामेन्द्र सूद पुत्र श्री हीरा लाल वार्ड नं0 4, मनाली | वाणिज्य | 80 Sqm | 5 | 400 | 134 | 266 |
| 30.8.16 | श्री कुलदीप सिंह मनकोटियां गाँव भाजोगी मनाली | वाणिज्य | 85.51 Sqm | 5 | 428 | 320 | 108 |
| 24.10.16 | श्री दुनीचन्द व गोकुल चन्द पुत्र श्री प्रेमचन्द, मनाली | वाणिज्य | 78.85 Sqm | 5 | 394 | 343 | 51 |
| 2.2.17 | श्री जयमल ताशी, गाँव भाजोगी मनाली | वाणिज्य | 1408.92 Sqm | 5 | 7045 | 1709 | 5336 |
| 8.9.17 | श्री शेर सिंह पुत्र श्री थुकटेन छैंइंग माडल टाऊन मनाली | वाणिज्य | 1311.63 Sqm | 5 | 6558 | 3012 | 3546 |
| 29.9.17 | श्री घान्थु राम पुत्र श्री डोलू राम माडल टाऊन मनाली | वाणिज्य | 794.45 Sqm | 5 | 3972 | 895 | 3077 |
| | | | | | | **कुल योग** | **₹12384** |

## 15 संविदाकरों से स्त्रोत पर आयकर ₹0.09 लाख की कटौती न करना

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान चयनित माह के भुगतान वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹30000 या अधिक के भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार संविदाकारों से ₹9010 के स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गई थी जो कि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों में संविदाकारों को ₹30000 या इससे अधिक किये गये भुगतान पर उपरोक्त नियम के अन्तर्गत स्त्रोत पर आयकर की वसूली की जानी सुनिश्चित करते हुए राशि को सरकारी कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| वा0सं0 | दिनांक | संविदाकार/फर्म का नाम | कार्य का विवरण | भुगमतान की गई राशि (₹) | आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) के अन्तर्गत अपेक्षित TDS की राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 16.4.16 | श्री सनाऊला हुसैन | Reject Polithine Waste को इकटठा व बांधना | 66376 | 1328 |
| 63 | 16.4.16 | New Himachal Hill Truck Operators Association, Kullu | Transporting of Reject Polithine Waste from Manali to Marinada (Pb) | 42496 | 850 |
| 104 | 22.4.16 | -do- | -do- | 42496 | 850 |
| 108 | 28.4.16 | श्री सनाउला हुसैन | Reject Polithine Waste dks bdVBk djuk o cka/kuk | 66929 | 1339 |
| 46 (1) | 10/17 | श्री सनाउला हुसैन | Reject Polithine Waste को इकटठा करना व बांधना | 95475 | 1910 |
| 48 | 10/17 | New Himachal Hill Truck Operatoers Association Kullu | Transporting Reject Polithine waste from Manali to Marinda (PB) | 44100 | 882 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 4/16 | New Himachal Hill Truck Operatoers Association Kullu | Transporting Reject Polithine waste from Manali to Marinda (PB) | 42496 | 850 |
| 66 | 10/17 | मै0 ब्यास इन्फ्राविल्ड प्रा0लि0 टारना हिल मण्डी | Providing out source Employers to M.C. Manali | 50025 | 1001 |
| | | | | कुल योग | ₹9010 |

## 16 गणना में त्रुटि के कारण संविदाकारों को ₹0.35 लाख का अधिक भुगतान

निर्माण कार्यों के लिए निम्नलिखित संविदाकारों को किये गये भुगतान का अंकेक्षण करने पर पायागया कि माप पुस्तिका में गणना की त्रुटि के कारण निष्पादित कार्य मदों की मात्रा वास्तविकता से अधिक दर्शाकर ₹35153 का अधिक एवं अनुचित भुगतान किया गया था जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निम्न विवरणानुसार दर्शायी गई राशियों की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

| संविदाकार का नाम | बिल सं0 | कार्य का नाम | अनुबन्ध सं0 | MB.No. व पृ0सं0 | निष्पादित कार्य मद का नाम | अंकेक्षण गणनानुसार कार्य मात्रा | डण्ठण में दर्शाई गई मात्रा | अन्तर | दर (₹) | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री दिरका बहादुर | 1st & Final | Sp. Repair/strengthening of RCC slab near Monal Hotel | MCM/7MW/2015-2801-2803 Dt. 28.10.15 | MB-42 Page-176 | P/L RCC in CC 1:2:4 | 30.15 Cum | 30.27 cum | 0.12 cum | 5050 | 606 |
| श्री शेर बहादुर | 1st & 3rd Phase | Sp.repair to by pass road by laying CC from IPH STP to | MCM/7MW/2017-1966-69 Dt. 14.9.17 | MB-39Page-154 & 155 | P/L CC 1:2:4 | 123.06cum 120.26 cum | 123.82 cum 120.26 cum | 0.83 cum 0.56 cum | 4650 4700 | 3860 2632 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOMPA | | | | | | | | |
| श्री दिरका बहादुर | 1st & Final | Sp.repair to road from Rehan Basera to Harizan Basti | MCM/7 MW/2016-17-3214-16 Dt. 24.11.16 | MB-48 Page-I | Ex.in earth work stone soling/filling P/L CC 1:2:4 | 30.70 cum 15.62 cum 105.14 cum | 30.76 cum 15.92 cum 105.66 cum | 0.06 cum 0.30 cum 0.52 cum | 245 1100 5300 | 15 330 2756 |
| श्री दिरका बहादुर | 1st & Final | Sp. Repair to Staff Quarter at Meat Market | MCM/7 MW/2016-17-3214-16 Dt. 24.11.16 | MB-48 Page-I | While Glazed tile 6mm thick in flooring | 367.84 sqm | 370.85 sqm | 3.01 sqm | 1200 | 3612 |
| श्री दिरका बहादुर | 1st & Final | Sp. Repair to Road Leading from Hotel Devlok to wards Gurudwara | MCM/7MW/2016-17-3314-16 Dt. 24.11.16 | MB-48 Page-3 | P/L CC 1:2:4 | 182.01 cum | 184.38 cum | 2.37 cum | 5300 | 12561 |
| श्री राम सिंह | 1st & Final | Complitation of staff quarters 2nd floor in siyaali Mahadev Mrket, Manali | MCM/7MW/2015-2937-40 dt. 9.11.2015 | MB-39 Page-123 | Pro.Wood work in Frame of False ceiling of 1st Class Kail wood | 0.474 cum | 0.567 cum | 0.093 cum | 81000 | 7533 |
| | | | | | P/F Wooden Plunk ceiling of 1st Class kail wood | 67.60 sqm | 67.77 Sqm | 0.17 sqm | 2900 | 493 |
| | | | | | 15 mm thick cement plaster in single coat on rough side of stone wall | 472.58 sqm | 472.70 sqm | 0.12 sqm | 160 | 19 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in skisting rises of steps and dado 12mm thick in cement Mortal | 15.30 sqm | 15.94 sqm | 0.64 sqm | 1150 | 736 |
| | | | | | | | | | Total | 35153 |

## 17 वस्तु एवं सेवाकर ₹2.36 लाख की राशि को सरकारी कोष में विलम्ब से जमा करना

वर्ष 2017–18 में विभिन्न विकास निर्माण कार्यों के निष्पादन पर संविदाकारें के बिलों से वस्तु एवं सेवाकर की कटौती राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ञ)** में दिये गये विवरणानुसार अवधि 1.10.2017 से 31.3.2018 तक वस्तु व सेवाकर की वसूल राशि ₹235962 को परिषद द्वारा दिनांक 15.6.2018 तक सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जो एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार संग्रहित वस्तु एवं सेवा कर को अविलम्ब सरकारी कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है तथा ऐसा न करने की अवस्था में मौद्रिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में संग्रहित वस्तु एवं सेवाकर को नियमानुसार तय समयावधि के भीतर सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी मौद्रिक दण्ड की सम्भावना से बचा जा सके।

## 18 श्रम प्रभार (Labour Cess) ₹5.64 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना

The Building and Other construction works welfare cess Act 1996 की धारा (3) (i) के अन्तर्गत निर्माण कार्य बिलों से एक प्रतिशत श्रम प्रभार (Labour Cess) की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। नगर परिषद द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के पैरा संख्या 16 में दिये गये सुझावानुसार वर्ष 2016–17 व 2017–18 में **परिशिष्ट "ट"** में दिये गये विवरणानुसार ₹564264 के श्रमकर की वसूली संविदाकारें के भुगतान बिलों से की की गई थी किन्तु वर्णित राशि को माह 6/2018 तक सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के पैरा 16 में वर्णित राशि ₹51186 तथा अन्य मासों में किये गये भुगतानों पर 1 प्रतिशत श्रम प्रभारों की वसूली भी संविदाकारों से

नहीं की गई है जो उपरोक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा कृत कार्यवही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**19 नियमानुसार उचित निविदा प्रक्रिया न अपनाने के कारण परिषद को ₹3.45 लाख की वित्तीय हानि**

वउचर संख्या 31 माह 10/2017 के द्वारा श्री वानर मोमिन, संविदाकार को चैक संख्या 834925 दिनांक 6.10.2017 के माध्यम से माह 9/2017 में Door to Door Garbage collection from ward No. 4 to 7 हेतु ₹180000 का भुगतान किया गया था जिसका सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 6.10.2016 को निम्न विवरणानुसार विभिन्न संविदाकारों से प्राप्त निविदाओं के अनुसार मै0 SKY light Manpower and Hospital Services, Dera Parel The. Bhoranj Distt. Hamirpur की दर ₹101235 न्यूनतम होने के आधार पर उन्हें कार्य आबंटित किया गया।

| **संविदाकार का नाम** | **मै0 SKY Light Manpower** | **Banner Momin** | **Sh. Raj S/O Sh. Suresh** | **Parveen Kumar** |
|---|---|---|---|---|
| दर | 101250P.M. | 160000 P.M. | 150000 P.M. | 179000 P.m. |

किन्तु मै0 SKY light Manpower द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान कार्य शुरू न करने के कारण दिनांक 6.12.2016 को पुनः उक्त कार्य के आबंटन हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई जबकि नियमानुसार पहले वाली निविदाओं में दर्शाई गई न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा कार्य न करने के कारण अगली न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य आबंटित करने के उद्देश्य से Negotiation हेतु बुलाया जाना अपेक्षित था।

न्गर नगर परिषद द्वारा नियमों के विरूद्ध श्री राज सुपुत्र श्री सुरेश कुमार जिस की दर ₹150000 P.M. थी को Negotiation हेतु न बुलाकर दिनांक 6.12.2016 को नये सिरे से निविदायें आमन्त्रित की गई जिनके अनुसार दरें निम्न प्रकार से थीः–

| संविदाकार का नाम | Banner Momin | Parveen Kumar | Sanaula Hussain |
|---|---|---|---|
| दर | 190000 | 195000 | 240000 |

उपरोक्त निविदाओं के आधार पर श्री वानर मोमिन संविदाकार को Negotiation पर बुलाकर ₹180000 P.M. की दर से उन्हें पत्र संख्या MCM/Sanitation/2016-17-5446-47

दिनांक 9.12.2016 के द्वारा अवधि 16.12.16 से 30.11.2017 तक कार्य आबंटित तथा यथानुसार 11.5 माह के लिए ₹2070000 का भुगतान किया गया थां इस प्रकार यदि नियमानुसार पूर्व में आमन्त्रित निविदाओं के आधार पर श्री राज सुपुत्र श्री सुरेश कुमार को कार्य आबंटित किया जाता तो ₹150000 P.m. की दर से 11.5 माह हेतु केवल ₹1725000 का ही भुगतान किया जाना था जिसके परिणामस्वरूप परिषद को ₹345000(₹2070000–₹1725000) की बचत होती परन्तु वर्णित निविदा प्रक्रिया न अपनाने के कारण परिषद को ₹345000 की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 20 विज्ञापन शुल्क ₹7.48 लाख की शेष वसूली

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान विज्ञापन शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद मनाली द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग व वैनरज लगाने हेतु मै0 मैजिक माईंड मीडिया सोल्यूशन प्राईवेट लि0 की दरें अधिकतम ₹370000 वार्षिक थी जिन्हे ंनेगोशियेशन करने के उपरान्त ₹400000 वार्षिक किया गया। दिनांक 12.6.2015 को मै0 मैनिक माईंड मीडिया व नगर परिषद मनाली के कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधान के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार उपरोक्त फर्म को अवधि 11.6.2015 से 31.5.2018 तक के लिए ₹400000 वार्षिक तथा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ भुगतान राशि त्रैमासिक आधार पर ₹100000 प्रथम वर्ष व आगामी वर्षो में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सहित जमा करवाने हेतु अनुबन्ध प्रदान किया गया था। फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप ₹100000 की त्रैमासिक किश्त समय पर जमा नहीं करवाई गई तथा अंकेक्षण समाप्ति तिथि 6/2018 तक निम्नविवरणानुसार मात्र ₹492500 ही जमा करवाये गये थेंः–

| जी–8 सं0 | दिनाँक | राशि (₹) |
|---|---|---|
| 44/201 | 18.5.2015 | 92500 |
| 93/245 | 93.2016 | 100000 |
| 20/278 | 19.8.2016 | 100000 |
| 25/306 | 1.4.2017 | 100000 |
| 57/315 | 30.5.2017 | 100000 |
| | कुल राशि | ₹492500 |

संविदाकार से अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वर्ष 2015–16 से 31.5.2018 तक निम्न विवरणानुसार ₹1240000 की राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थीः–

| वर्श | अनुबन्ध के अनुसार राशि | 5% वृद्धि | कुल राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 2015–16 | 400000 | – | 400000 |
| 2016–17 | 400000 | 20000 | 420000 |
| 2017–18 | 400000 | 20000 | 420000 |
| | | **कुल योग** | **1240000** |

इस प्रकार संविदाकार से अंकेक्षण की समाप्ति तक ₹1240000–492500)=₹747500 की वसूली शेष थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित राशि की यथाशीघ्र वूसली कर के नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 21 निविदा की शर्तों के विपरीत संविदाकार को ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान

मह 10/2017 में वाउचर संख्या 46 (1)के द्वारा श्री सनाउला हुसैन संविदाकार को कचरा संयन्त्र रांगड़ी में पौलीथीन के बण्डल बांधने व रिसाईकलिंग के लिए मरिण्डा (पंजाब) ले जाने हेतु ₹94575 का भुगतान किया गया था जिसका अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संविदाकार के बिल के पृष्ठ भाग पर श्री शिव राम, लिपिक की टिप्पणी अनुसार ट्रक का किराया मनाली से बरमाणा तक देय था तथा बरमाणा से मरिण्डा तक के किराये ₹8465x2=16930 की वसूली संविदाकार के बिल से की जानी थी लेकिन बिल सहायक द्वारा इस टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुये ₹78545 की भुगतान योग्य राशि की अपेक्षा ₹95475 का पूर्ण भुगतान संविदाकार के किया गयां इस प्रकार ₹16930 (₹95475–78545) के अधिक भुगतान को अंकेक्षण द्वारा परिषद के ध्यान में लाने पर इस राशि की वसूली जी–8 संख्या 372/71 के द्वारा दिनांक 16.5.2018 को मौके पर कर ली गई थी तथा जिस की पुष्टि अंकेक्षण में भी कर ली गई है।

## 22 दुकानों से प्राप्त किराये पर देय वस्तु एवं सेवाकर ₹1.13 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाने का साक्ष्य अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

निम्नलिखित वाउचरों के द्वारा नगर परिषद मनाली को दुकानों के किराये के रूप मे प्राप्त आय पर देय वस्तु एवं सेवाकर को चार्टिड अकाउटैन्ट के खाते में इस आशय के साथ

जमा करवाया गया था कि इन राशियो ंको सरकारी कोष में जमा करवाकर सरकारी कोष की रसीद की एक प्रति नगर परिषद अभिलेख में बतौर साक्ष्य रखी जाएगी। लेकिन अंकेक्षण के दौरान इन राशियों के सरकारी कोष में जमा होने का कोई अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इन राशियों केसम्बन्धित विभाग में जमा होने की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

| विषय | वा0सं0 | चार्टिड अकाउटैन्ट का नाम | चैक सं0 | दिनांक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| वस्तु एवं सेवाकर | 64 | श्री रोहित कुमार | 834965 | 21.10.2017 | 107388 |
| दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का EPF | 79 | श्री रोहित कुमार | – | 10/2017 | 5485 |
| | | | | कुल राशि | ₹112873 |

## 23 कर्मचरियों को सेवा लाभों की अनियमित स्वीकृति के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

### (क) कर्मचरियों को 4–9–14 ACPS योजना के अन्तर्गत 4 वर्ष के सेवाकाल उपरान्ल अनियमित लाभ प्रदान करना

निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (PR)-8 (7)-64/2010 दिनांक 26.2.2013 जिसमे दिनांक 1.10.2012 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को ACPS (4–9–14 व 8–16–24–32) का लाभ देने हेतु दिशा निर्देश दिये गये है, के पैरा संख्या 3 के अनुसार जिन कर्मचरियों को हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसज (Category/Post wise Revised Pay) Rules 2012 के लागू होते है व जिन के पे बैंड या ग्रेड पे बढ़ी है, उनके लिए ACPS का लाभ देने हेतु Qualifying period की गणना उक्त नियमों के लागू होने की तिथि से की जाएगी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मनाली द्वारा उक्त नियमों के प्रतिकूल निम्नलिखित कर्मचारियों को निर्धारित अवधि से पूर्व ACPS का लाभ दिया गया है जबकि नियमानुसार इन्हें अब 14 वर्ष की अवधि के उपरान्त ACPS का लाभ देय बनता है क्योंकि क्रम संख्या 1 से 4 को दिनाक 11.7.2008 से प्रथम वेतन वृद्धि तथा 1.10.12 से उच्च ग्रेड पे ₹1650 का लाभ प्रदान करने के कारण 4 व 9 वर्ष उपरान्त का ACPS का प्रथम व द्वितीय लाभ Exhaust माना जाएगा जबकि क्रम संख्या 5 को 1.10.12 से ₹1650 की उच्च ग्रेड पे प्रदान करने के कारण 9 वर्ष का ACPS लाभ Exhaust माना जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित वेतन निर्धारण का पुर्नविचार करते

हुए पुनः उचित वेतन निर्धारण करके वेतन व भतों के अधिक भुगतान की गणना अपने स्तर पर करने के उपरान्त राशि की सम्बन्धित कर्मचरियों से वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

| क्र0सं0 | कर्मचारी का नाम नियुक्ति तिथि | पद | 1.10.2012 से पूर्व ग्रेड पे | 1.10.2012 को दी गई ग्रेड पे | दी गई ACPS की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री दुनी चन्द 11.7.2000 | टोलगार्ड | 1400 | 1650 | 11.7.2013 |
| 2 | श्री अनूप राम 11.7.2000 | टोलगार्ड | 1400 | 1650 | 11.7.2013 |
| 3 | श्री गीता नन्द शर्मा 11.7.2000 | टोलगार्ड | 1400 | 1650 | 11.7.2013 |
| 4 | श्री जीवन प्रकाश 11.7. 2000 | बेलदार | 1400 | 1650 | 11.7.2013 |
| 5 | श्रीमती ममता 25.8.2007 | सफाई कर्मचारी | 1400 | 1650 | 25.8.2016 |

**24 विज्ञापन हेतु फर्म को ₹784 का अधिक भुगतान**

**(वाउचर संख्याः 52 माह 10/2017)**

दिनांक 8.9.2017 को हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला (धर्मशाला) में निविदाओं के आमन्त्रण हेतु दिये गये विज्ञापन से सम्बन्धित बिल/वाउचरो का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद मनाली द्वारा अमर उजाला प्रकाशन लि0 को 180 वर्ग सेन्टीमीटर हेतु ₹28.44 प्रति वर्ग सेन्टीमीटर की दर से ₹5119 का भुगतान किया गया था जबकि DAVP दर ₹24.17 प्रति वर्ग सेन्टीमीटर अनुसार फर्म को केवल ₹4351 का भुगतान देय बनता था। अतः ₹784 (5119–4351=768+2% GST) के अधिक भुगतान या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**25 निर्माण कार्य**

**(क) निष्पादित निर्माण कार्य की माप पुस्तिका में रिकार्ड प्रविष्टि किए बिना संविदाकार को ₹0.28 लाख का भुगतान करना**

संविदाकार का नामः– श्री राम सिंह

कार्य का नामः– Completion of staff quarters 2nd floor at siyali Mahadecv Market

कार्य आबंटन पत्र संख्याः– MCM-7MW/2015-2937-40 दिनांक 9.11.2015

माप पुस्तिका संख्याः—39 पृष्ठ 123

बिल संख्या :—प्रथम व अन्तिम

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य मदें निष्पादित दर्शाई गई थी परन्तु इन कार्य मदों से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में दर्ज नहीं थी बल्कि मदों को केवल Abstract of cost में एक मुश्त दर्शाकर ₹27866 का संविदाकार का भुगतान किया गया था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्य मदों का निष्पादन किए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया है जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| **क्र0सं0** | **कार्य का नाम** | **कार्य मात्रा** | **दर(₹)** | **राशि (₹)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P/F Plain Square (KailWood) | 73.10 Sqm | 49.35 per m2 | 3607 |
| 2 | P/F Kota stone slab flooring 20mm | 15.28 Sqm | 943.60 per m2 | 14418 |
| | Add54.60 % premium | | | 18025<br>9841 |
| | | | **कुल राशि** | **27866** |

**(ख) सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹36.99 लाख के निर्माण कार्य निष्पादित करवाना**

निष्पादित विकास कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति हिमाचल प्रदेश नगर पलिका निर्माण कार्य नियम 2010 की धारा 4 (2) (ख) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार अपेक्षित स्वीकृति किए बिना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता है। अतः इन कार्यों की कार्योत्तर तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से लेकर वर्णित अनियमितता को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:—

| **क्र0सं0** | **संविदाकार का नाम** | **कार्य का नाम** | **वा0सं0** | **निष्पादित निर्माण कार्य की राशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री दिरका बहादुर | Sp.repare to Road loading from to Gurudwara | 71/10/17 | 1073105 |
| 2 | श्री दिरका बहादुर | Extension of site for land | 73/10/17 | 1019745 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | fill near Garbage dumping site | | |
| 3 | श्री दिरका बहादुर | Extention of garbage dumping site Near Solid Waste management project at Rangari | 47/11/17 | 1607040 |
| | | | कुल योग | ₹3699890 |

**26 गौ–सदन को हस्तांतरित/भुगतान राशि में से ₹0.29 लाख का संदिग्ध व्यय**

वउचर संख्या 106 माह 4/2016 में चैक संख्या 549558 दिनांक 28.4.2016 के माध्यम से गौ सदन मनाली के खाता संख्या 3451101001268 में हस्तांतरित ₹150000 की राशि का सम्बन्धित बिल/वाउचरों के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित गाडियों द्वारा की गई घास की ढुलाई का किराया व ₹12 प्रति किलोंग्राम घास की कीमत के सम्बन्ध में प्राप्त भार की रसीदें मै0 विजय इलैक्ट्रानिक वेट ब्रिज नेरचौक, जिला मण्डी द्वारा जारी कम्पयूटराइजड प्रीटिंड थी जबकि निम्न विवरणानुसार प्राप्त रसीदों पर भार की मात्रा हस्तलिखित होने के कारण किया गया ₹29080 का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की उचित छानबीन करवाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| रसीद सं0 | दिनाक | गाड़ी सं0 | हस्तलिखित दर्शया गया भार | घास की दर ₹12 कि0ग्रा0 | कुल राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7362 | 5.12.15 | एच0पी0–65–4818 | 655 कि0ग्रा0 | 12 | 7860 |
| 8730 | 8.1.16 | एच0पी0–31–7662 | 735 कि0ग्रा0 | 12 | 8820 |
| शून्य | 14.11.15 | एच0पी0–65–4818 | गाड़ी का किराया | – | 6200 |
| शून्य | 16.11.15 | एच0पी0–65–4818 | गाड़ी का किराया | – | 6200 |
| | | | | कुल योग | ₹29080 |

**27 अंकेक्षण को अभिलेख उपलब्ध न करवाना**

नगर परिषद मनाली द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसकी मांग सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या 2–671 दिनांक 11.6.2018 द्वारा की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

1 Establishment check Register 4/16 to 3/18
2 Registration of Pet Dogs
3 Registration of Coolies
4 Electricity consumption tax Demand & Collection Register
5 Liquor Tax demand & collection Register
6 Yatri Niwas/Rest House visitor Book

**28 स्टोर/स्टॉक का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया जा रहा था जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 140 (2) के अनुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में उक्त नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

**29 लघु आपत्ति विवरणीः–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया था तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

**30 निष्कर्षः–**लेखाओं में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः V(19)फिन(एल0ए0), खण्ड–7–8066–8067 दिनांकः,04.12.18 शिमला–171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

**पंजीकृत**
1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करके के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

## परिशिष्ट ''क''
## पैरा–1 (ग) में सन्दर्भित

नगर परिषद मनाली के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.1978 से 3/2016 तक के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार से है।

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.1978 से 31.3.1981**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 (सी) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–10 (1) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–12 (ए) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–12 (बी) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–12 (डी)(ई) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–12 (एफ) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–12 (जी) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–13 (1) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–14 (ए) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–16 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–18 (1) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–18 (2) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–18 (3) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–18 (4) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–18 (5) | अनिर्णीत |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 3/1982**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 (ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–6 (बी) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–7 (ए) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–7 (बी)(i) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–7 (बी)(ii) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–7 (सी) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–7 (डी) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–9 (ए) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–9 (बी) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–9 (सी) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–9 (डी) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–9 (ई) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–9 (एफ) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–9 (जी) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–9 (एच) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–9 (आई) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–9 (जे) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | पैरा–9 (के) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–9 (एल) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–9 (एम) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–9 (एन) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–9 (ओ) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–9 (पी) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–10 | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–13 | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–14 (1) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–14 (2) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–14 (3) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–14 (4) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–14 (5) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–15 | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–16 (1) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा–16 (2) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–16 (3) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा–18 | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–20 (i) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–20 (ii) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–20 (iii) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–20 (iv) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–20 (v) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–20 (vi) | अनिर्णीत |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1984**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 (सी) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–5 (आई) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–6 (2) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–9 (1) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–10 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–12 (ए) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–12 (बी) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–12 (सी) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–12 (डी) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–13 (ए) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–13 (बी) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–13 (सी) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–13 (डी) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–13 (ई) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–13 (एफ) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–13 (जी) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–13 (एच) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–14 (1) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | पैरा–14 (2) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–14 (3) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–15 (2) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–16 | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–17 | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–18 (1) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–18 (2) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–18 (3) | अनिर्णीत |

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1986**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 (व) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–5 (4) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–5 (5) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–5 (6) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–5 (7) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–5 (8) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–5 (9) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–5 (10) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–5 (11) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–5 (12) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–5 (13) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–6 (1) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–6 (2) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–7 (ए)(2) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–7 (सी)(ई) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–8 (सी)(ई) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–8 (एफ) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–9 (ए) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–9 (बी) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–9 (सी) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–9 (डी)(1) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–9 (डी)(2) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–14 (1) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–14 (2) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–14 (3) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–14 (4) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–17 | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–18 (ए) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–18 (बी) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–18 (सी)(डी) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–18 (ई) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–18 (एफ) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा–18 (जी) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–18 (एच) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 35 | पैरा–18 (आई) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–18 (जे) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–18 (के) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–18 (एल) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–18 (एम) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–19 (ए) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–20 | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा–21 (i) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा–21 (ii) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा–21 (iii) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा–22 (ए) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा–22 (बी) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा–22 (एफ) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा–22 (एच) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा–23 (ए) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा–23 (बी) | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा–24 (2) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा–24 (3) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा–24 (6) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा–24 (7) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा–24 (8) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा–24 (9) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा–24 (10) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा–24 (11) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा–24 (13) | अनिर्णीत |
| 60 | पैरा–24 (14) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा–24 (15) | अनिर्णीत |

**(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1987**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 (1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–5 (2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–5 (3) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–5 (4) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–5 (5) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–5 (6) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–6 (क) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–6 (ख) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–6 (ग) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–6 (घ) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–7 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–8 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–9 (1) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–9 (2) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–9 (3) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | पैरा–9 (4) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–9 (5)(ए) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–9 (5)(बी) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–10 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–12 (1) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–12 (2) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–12 (3) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–13 (2) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–13 (4) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–13 (5) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–13 (6) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–13 (7) | अनिर्णीत |

**(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1992**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–7 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–14 (1) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–14 (2) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–14 (3) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–14 (4) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–14 (6)(क) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–14 (6)(ख) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–14 (9) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–14 (12) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–14 (17) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–14 (19) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–14 (27) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–14 (28) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–14 (29)(क) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–14 (29)(ख) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–14 (29)(ग) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–14 (29)(घ) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–14 (29)(च) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–14 (37)(क) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–14 (37)(ख) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–14 (38) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–14 (39)(1) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–14 (39)(2)(ग) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–14 (40) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–14 (45) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–14 (48) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–14 (49) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–14 (51) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–14 (52) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–14 (54) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | पैरा–14 (55)(क) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–14 (55)(ख) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा–14 (55)(ग) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–14 (55)(घ) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा–14 (55)(ड.) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–14 (56)(क) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–14 (56)(ख) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–14 (56)(ग) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–14 (56)(घ) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–14 (56)(ड.) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–14 (59) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा–14 (60) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा–14 (61)(क) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा–14 (61)(ख) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा–14 (61)(ग) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा–14 (61)(घ) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा–14 (61)(ड.) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा–14 (62)(क) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा–14 (62)(ख) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा–14 (62)(ग) | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा–14 (63) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा–14 (64) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा–14 (65) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा–14 (66) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा–14 (68) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा–14 (69) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा–14 (71)(क) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा–14 (72)(ख) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा–14 (72)(ग) | अनिर्णीत |
| 60 | पैरा–14 (73) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा–14 (74) | अनिर्णीत |
| 62 | पैरा–15 (1) | अनिर्णीत |
| 63 | पैरा–15 (2) | अनिर्णीत |
| 64 | पैरा–16 (ख) | अनिर्णीत |
| 65 | पैरा–16 (ग) | अनिर्णीत |
| 66 | पैरा–16 (छ) | अनिर्णीत |
| 67 | पैरा–17 (ख) | अनिर्णीत |
| 68 | पैरा–17 (झ) | अनिर्णीत |
| 69 | पैरा–17 (ञ) | अनिर्णीत |
| 70 | पैरा–17 (त) | अनिर्णीत |
| 71 | पैरा–17 (द) | अनिर्णीत |
| 72 | पैरा–17 (ध) | अनिर्णीत |
| 73 | पैरा–17 (न) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 74 | पैरा–17 (प) | अनिर्णीत |
| 75 | पैरा–17 (फ) | अनिर्णीत |
| 76 | पैरा–17 (ब) | अनिर्णीत |
| 77 | पैरा–17 (म) | अनिर्णीत |
| 78 | पैरा–17 (य) | अनिर्णीत |
| 79 | पैरा–17 (र) | अनिर्णीत |
| 80 | पैरा–17 (ल) | अनिर्णीत |
| 81 | पैरा–17 (व) | अनिर्णीत |
| 82 | पैरा–17 (ह) | अनिर्णीत |
| 83 | पैरा–17 (त्र) | अनिर्णीत |

**(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1996**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 (क)(3) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–6 (ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–7 (2) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–7 (3) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–7 (4) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–7 (5) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–8 (2) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–8 (3) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–12 (1) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–12 (3) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–12 (5) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–12 (6) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–12 (7) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–12 (8) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–12 (10) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–12 (11) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–12 (14) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–12 (15) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–12 (16) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–12 (17) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–12 (19) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–12 (20) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–13 (क) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–13 (ख) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–13 (ग) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–13 (घ) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–13 (ड.) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–14 (2) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–14 (3) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–14 (4) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–14 (5) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 33 | पैरा—15 (3) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा—15 (8) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा—15 (10) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा—16 | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा—17 (2) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा—17 (7) | अनिर्णीत |

**(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1999**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा—6 (क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा—6 (ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा—7 (2) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा—7 (3) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा—7 (4) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा—7 (5) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा—7 (6) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा—8 (1) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा—8 (2) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा—8 (3) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा—9 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा—11 (1) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा—11 (2) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा—13 (1) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा—13 (2)(1) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा—13 (2)(2) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा—13 (3)(1) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा—13 (3)(2) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा—13 (3)(3) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा—13 (4) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा—13 (6) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा—13 (9) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा—13 (11) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा—13 (13)(i) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा—13 (13)(ii) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा—13 (13)(iii) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा—13 (13)(iv) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा—13 (14)(1)(i) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा—13 (14)(1)(ii) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा—13 (14)(1)(iii) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा—13 (14)(2) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा—13 (16)(1) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा—13 (16)(2) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा—13 (16)(3) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा—13 (16)(4) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा—13 (17)(1) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 37 | पैरा–13 (17)(2) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–13 (17)(3) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–13 (17)(4) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–13 (22)(1) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–13 (22)(2) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा–13 (22)(3) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा–13 (22)(4) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा–13 (22)(5) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा–14 (1) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा–14 (2) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा–16 (1) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा–16 (2) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा–16 (3) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा–17 (2)(i) | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा–17 (2)(ii) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा–17 (3)(i) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा–17 (3)(ii) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा–17 (4)(i) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा–17 (4)(ii) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा–17 (16)(1) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा–17 (16)(2) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा–17 (16)(3) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा–17 (7) | अनिर्णीत |
| 60 | पैरा–18 (1) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा–18 (2) | अनिर्णीत |
| 62 | पैरा–18 (3) | अनिर्णीत |
| 63 | पैरा–18 (4) | अनिर्णीत |
| 64 | पैरा–18 (5) | अनिर्णीत |
| 65 | पैरा–18 (6) | अनिर्णीत |
| 66 | पैरा–18 (7) | अनिर्णीत |
| 67 | पैरा–19 | अनिर्णीत |
| 68 | पैरा–20 (1) | अनिर्णीत |
| 69 | पैरा–20 (5) | अनिर्णीत |
| 70 | पैरा–21 (1) | अनिर्णीत |
| 71 | पैरा–21 (3) | अनिर्णीत |
| 72 | पैरा–21 (4) | अनिर्णीत |

**(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2007**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–2 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–4 (1) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–4 (1)(1) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–4 (1)(2) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–4 (1)(3) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–4 (1)(4) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | पैरा–4 (2) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–4 (3)(i) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–4 (3)(ii) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–4 (3)(iii) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–4 (3)(iv) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–4 (3)(v) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–4 (4)(i) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–4 (4)(ii) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–4 (4)(iii) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–4 (5) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–4 (6) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–4 (7) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–4 (8) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–4 (9) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–5 (1) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–5 (1)(2) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–5 (1)(3) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–5 (1)(4) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–5 (1)(5) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–5 (2)(1) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–5 (2)(2) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–5 (2)(3) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–5 (3)(ए) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–5 (3)(बी) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–5 (4) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–5 (5) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा–5 (6) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–5 (7)(i) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा–6 (1) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–6 (2) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–6 (3) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–6 (4) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–6 (5) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–6 (6) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–6 (7) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा–6 (8)(1) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा–6 (8)(2) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा–6 (9) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा–6 (10) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा–6 (11) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा–6 (12) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा–6 (13) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा–6 (14) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 50 | पैरा–6 (15) | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा–6 (16) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा–6 (17) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा–6 (18) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा–6 (19) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा–6 (20) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा–6 (21)(ए) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा–6 (21)(बी) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा–6 (22) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा–6 (23) | अनिर्णीत |
| 60 | पैरा–6 (24) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा–6 (25) | अनिर्णीत |
| 62 | पैरा–6 (26) | अनिर्णीत |
| 63 | पैरा–6 (27) | अनिर्णीत |
| 64 | पैरा–6 (28) | अनिर्णीत |
| 65 | पैरा–6 (29) | अनिर्णीत |
| 66 | पैरा–6 (30) | अनिर्णीत |
| 67 | पैरा–6 (31) | अनिर्णीत |
| 68 | पैरा–6 (32) | अनिर्णीत |
| 69 | पैरा–6 (33) | अनिर्णीत |
| 70 | पैरा–6 (34) | अनिर्णीत |
| 71 | पैरा–6 (35) | अनिर्णीत |
| 72 | पैरा–6 (36) | अनिर्णीत |
| 73 | पैरा–6 (37) | अनिर्णीत |
| 74 | पैरा–6 (38) | अनिर्णीत |
| 75 | पैरा–6 (39) | अनिर्णीत |
| 76 | पैरा–6 (40) | अनिर्णीत |
| 77 | पैरा–6 (41) | अनिर्णीत |
| 78 | पैरा–6 (42) | अनिर्णीत |
| 79 | पैरा–6 (43) | अनिर्णीत |
| 80 | पैरा–6 (44) | अनिर्णीत |
| 81 | पैरा–6 (45) | अनिर्णीत |
| 82 | पैरा–6 (46) | अनिर्णीत |
| 83 | पैरा–6 (47) | अनिर्णीत |
| 84 | पैरा–6 (48) | अनिर्णीत |
| 85 | पैरा–6 (49) | अनिर्णीत |
| 86 | पैरा–6 (50) | अनिर्णीत |
| 87 | पैरा–6 (51) | अनिर्णीत |
| 88 | पैरा–6 (52) | अनिर्णीत |
| 89 | पैरा–6 (53) | अनिर्णीत |
| 90 | पैरा–6 (54) | अनिर्णीत |
| 91 | पैरा–6 (55) | अनिर्णीत |
| 92 | पैरा–6 (56) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 93 | पैरा–6 (57) | अनिर्णीत |
| 94 | पैरा–6 (58) | अनिर्णीत |
| 95 | पैरा–6 (59) | अनिर्णीत |
| 96 | पैरा–6 (60) | अनिर्णीत |
| 97 | पैरा–6 (61) | अनिर्णीत |
| 98 | पैरा–7 (1) | अनिर्णीत |
| 99 | पैरा–7 (2) | अनिर्णीत |
| 100 | पैरा–7 (3) | अनिर्णीत |
| 101 | पैरा–7 (4) | अनिर्णीत |
| 102 | पैरा–7 (5) | अनिर्णीत |
| 103 | पैरा–7 (6) | अनिर्णीत |
| 104 | पैरा–7 (7) | अनिर्णीत |
| 105 | पैरा–7 (8) | अनिर्णीत |
| 106 | पैरा–7 (9) | अनिर्णीत |
| 107 | पैरा–7 (10) | अनिर्णीत |
| 108 | पैरा–7 (11) | अनिर्णीत |
| 109 | पैरा–7 (12) | अनिर्णीत |
| 110 | पैरा–7 (13) | अनिर्णीत |
| 111 | पैरा–7 (14) | अनिर्णीत |
| 112 | पैरा–7 (15) | अनिर्णीत |
| 113 | पैरा–7 (16) | अनिर्णीत |
| 114 | पैरा–7 (17) | अनिर्णीत |
| 115 | पैरा–7 (18) | अनिर्णीत |
| 116 | पैरा–7 (19) | अनिर्णीत |
| 117 | पैरा–7 (20) | अनिर्णीत |
| 118 | पैरा–7 (21) | अनिर्णीत |
| 119 | पैरा–7 (22) | अनिर्णीत |
| 120 | पैरा–7 (23) | अनिर्णीत |
| 121 | पैरा–7 (24) | अनिर्णीत |
| 122 | पैरा–7 (25) | अनिर्णीत |
| 123 | पैरा–7 (26) | अनिर्णीत |
| 124 | पैरा–7 (27) | अनिर्णीत |
| 125 | पैरा–7 (28) | अनिर्णीत |
| 126 | पैरा–7 (29) | अनिर्णीत |
| 127 | पैरा–7 (30) | अनिर्णीत |
| 128 | पैरा–7 (31) | अनिर्णीत |
| 129 | पैरा–7 (32) | अनिर्णीत |
| 130 | पैरा–7 (33) | अनिर्णीत |
| 131 | पैरा–8 (1) | अनिर्णीत |
| 132 | पैरा–8 (2) | अनिर्णीत |
| 133 | पैरा–8 (3) | अनिर्णीत |
| 134 | पैरा–8 (4)(ए) | अनिर्णीत |
| 135 | पैरा–8 (4)(बी) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 136 | पैरा–8 (5) | अनिर्णीत |
| 137 | पैरा–8 (6) | अनिर्णीत |
| 138 | पैरा–8 (7) | अनिर्णीत |
| 139 | पैरा–8 (8) | अनिर्णीत |
| 140 | पैरा–8 (9) | अनिर्णीत |
| 141 | पैरा–8 (10)(ए) | अनिर्णीत |
| 142 | पैरा–8 (10)(बी) | अनिर्णीत |
| 143 | पैरा–9 (1) | अनिर्णीत |
| 144 | पैरा–9 (2) | अनिर्णीत |
| 145 | पैरा–9 (3) | अनिर्णीत |
| 146 | पैरा–10 | अनिर्णीत |

**(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 (2) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–4 (3) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–4 (4) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–4 (6) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–5 (ii) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–6.1 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–6.2 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–6.5 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–9 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–10 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–12.1.5 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–12.1.6 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–12.1.7 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–12.2 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–12.3 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–13 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–14.3 | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–16.1 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–16.2 | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–16.3 | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–17.1 | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा–17.2 | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–17.3 | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–17.4 | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–18 | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–19 | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–22.1 | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–22.2 | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–23 | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–24.1 | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | पैरा–24.2 | अनिर्णीत | |
| 33 | पैरा–25 | अनिर्णीत | |
| 34 | पैरा–27 | अनिर्णीत | |

**(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 (ii) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–6 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–6.1 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–6.2 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–6.3 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा–6.4 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–6.6 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–6.7 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा–11 (ख) | निर्णीत | (₹4870 की वसूली श्री दिरका बहादुर ठेकेदार की प्रतिभूति से कर ली गई 193–48 ) |
| 10 | पैरा–15 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–15.1 | अनिर्णीत | |
| 12 | | | |

**(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 (घ) | निर्णीत | (किसी कार्यवही की आवश्यकता न होने के कारण पैरा समाप्त) |
| 2 | पैरा–4 (ण) | निर्णीत | (भविष्य में अनुपालना हेतु दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत पैरा समाप्त) |
| 3 | पैरा–5 (क) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–5 (ख) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–7 (ख) | निर्णीत | (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/16 से 3/18 के पैरा संख्या 8 (ग) में दी गई है ) |
| 6 | पैरा–8 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–10 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा–11 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–13 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–14 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–15 (क) (i)(ii)(iii)(iv) | अनिर्णीत | |

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/14 से 3/16

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 (ख) (i) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–4 (ख) (ii) | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–4 (ख) (iii) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–5 (क) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–5 (ख) | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा–5 (ग) | निर्णीत | (संस्था द्वारा रोकड़ बही रख रखाव कर लिया है) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | पैरा–6 (क) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–6 (ख) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा–6 (ग) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–7 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–8 (क) | निर्णीत | (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.16 से 31.3.18 के पैरा संख्या 8 (क) में दी गई है) |
| 12 | पैरा–8 (ख) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–8 (ग) | निर्णीत | (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.16 से 31.3.18 के पैरा संख्या 8 (ग) में दी गई है) |
| 14 | पैरा–9 (क) | निर्णीत | (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.16 से 31.3.18 के पैरा संख्या 10 में दी गई है) |
| 15 | पैरा–9 (ख) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा–9 (ग) | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा–10 (क) | निर्णीत | (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.16 से 31.3.18 के पैरा संख्या 9 (क) में दी गई है) |
| 18 | पैरा–10 (ख) | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा–11 | निर्णीत | (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.16 से 31.3.18 के पैरा संख्या 13 में दी गई है) |
| 20 | पैरा–12 | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा–13 | निर्णीत | (कम वसूल की गई ₹1160 की वसूली जी–8 नं0 46/258 दिनांक 4.6.2016 के द्वारा कर दी गई है) |
| 22 | पैरा–14 | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा–15 | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा–16 | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा–17 | निर्णीत | (₹18765 के अधिक भुगतान की वसूली जी–8 संख्या 807/289 दिनांक 8.11.16 के द्वारा कर ली गई है) |
| 26 | पैरा–18 | निर्णीत | (₹406 के अधिक भुगतान की वसूली जी–8 संख्या 039/291 दिनांक 24.11.16 के द्वारा कर ली गई है) |
| 27 | पैरा–19 | अनिर्णीत | |

**अनिर्णीत पैरों का सार**

| | |
|---|---|
| दिनांक 31.3.2016 तक गत शेष | 595 |
| वर्तमान प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरे | 26 |
| वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे | 13 |
| दिनांक 31.3.2018 तक अनिर्णीत पैरों का शेष | 608 |